[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली,23जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ). – जहां कि, "टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई)" (एश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20 के अंतर्गत आता है, और चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित हो, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/36/2016-डीजीएडी, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017, जिसे 13 दिसम्बर, 2017 को भारतके राजपत्र, असाधारण के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था,के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(i) कि विचाराधीन उत्पाद का विषयगत देश से भारत में आयात सामान्य से कम कीमत पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;
(ii) विषयगत देश से विचाराधीन उत्पाद की यहां भरमार होने के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति पहुंची है;
(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले बहुतायत आयात के कारण हुई है,

और, उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित ऐसी विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 2015 के नियम 18 और 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, ऐसे विषयगत वस्तु, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट विषयगत देशों से जो मूलत: उत्पादित हैं, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित हैं कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों के द्वारा निर्यातित हैं और भारत में आयातित हैं, पर कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है ।

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन वाला देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.26	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	कोई भी	कोई भी	0.26	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
3.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.26	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
4.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	जापान	जापान	कोई भी	कोई भी	0.15	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
5.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	जापान	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	कोई भी	कोई भी	0.15	किलो ग्राम	
6.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	जापान	कोई भी	कोई भी	0.15	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
7.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हानवा कैमिकल्स कॉर्पोरेशन	क) पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ख) एवरलाइट कोरिया	0.22	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर

						कंपनी लिमिटेड ग) आईएमएस कॉर्पोरेशन			
8.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	बीएएसएफ कंपनी	बीएएसएफ कंपनी	0.31	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
9.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	उपुर्यक्त क्रम संख्या 7 और 8 में उल्लिखित कंबीनेशन से भिन्न		0.44	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
10.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.44	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
11.	2929 1020	टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट	कोरिया गणराज्य	कोई भी देश, उनसे भिन्न जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है	कोई भी	कोई भी	0.44	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर

2. लगाया गया यह प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि (इसके पहले यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है), तक लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण .- इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना में प्रयुक्त विनिमय दर वही दर होगी जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की जारी अधिसूचना में दी गई हो और विनिमय दर के निर्धारण की तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी ।

[फाइल संख्या 354/82/2017 –टीआरयू (पार्ट-I)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार